अंचल कार्यालय सरैयाहाट

विविध वाद सं0 –11/ 2018–19

शिवशंकर दास – प्रथम पक्ष
संजय दास वगैरह– द्वितीय पक्ष

आदेश

06.07.18

यह वाद आवेदक शिवशंकर दास पिता स्व0 भूवन दास ग्राम पगवारा प0पट्टी के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। मामला मौजा पगवारा प0पट्टी थाना न0 48 जमावन्दी न0 01 दाग न0 267 रकवा 00–03–07 धूर भूमि पर दखल कब्जा को लेकर है। आवेदन में उल्लेखित तथ्य के आलोक में राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जॉच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरान्त पक्षकार को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। निर्धारित तिथि को उभय पक्ष का सुना।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा पगवारा पश्चिम पट्टी जमावन्दी न0 01 दाग न0 267 अशरफी चमार के नाम से दर्ज है जो कि मेरा है।वर्ष 2001 में इन्दिरा आवास मिला था। इन्दिरा आवास को 267 में नहीं बनाये। पगवारा प0पट्टी में अपना जमीन है, उसपर इन्दिरा आवास बनाये हैं। मेरा 267 प्लॉट खाली रह गया है। उस जमीन पर विपक्षी ईंट,गाय,पुआल इत्यादि रख दिये थे हटाने के लिए बोले तो नहीं हटाया। दिनांक 07.05.18 की शाम को ईंटा का दीवाल जबरन खड़ाकर दिया है। मना करने पर लाठी डंटा से मार–पीट भी किया जिसकी शिकायत थाने में की गई एव केश दर्ज हुआ (हॅसडीहा थाना काण्ड सं0 44/18 दिनांक 07.05.2018 धारा 147/148/149/341/323/447/307/379/504 भा0द0वि0)

द्वितीय पक्ष का कहना है कि वर्त्तमान मामला न्याय संगत नहीं है। चूँकि प्रथम पक्ष के द्वारा गलत और आधारहीन मामला दायर किया गया है। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष एक ही मौजा के निवासी हैं। द्वितीय पक्ष के पिता स्व0 युगल दास एक भूमिहीन व्यक्ति था, दिनांक 08.03.1977 को प्रथम पक्ष के पिता भूवन दास के द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता को मौजा पगवारा प0पट्टी के जमावन्दी न0 01 दाग न0 267 रकवा 1 कट्ठा जमीन दानपत्र के आधार पर दिया है। दानपत्र प्राप्ति के उपरान्त द्वितीय पक्ष के पिता दखल कब्जा में आया तो उक्त जमीन पर पक्का कच्चा मकान बनाकर शांति पूर्वक रहने लगे। द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि का वास्तविक दखलकार है एवं लगभग 40 वर्षों से दखल में है। इसलिए प्रथम पक्ष के दावा को खारिज किया जाय।

उभय पक्ष का बहस सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत का वारिशान होने के नाते प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे हैं तथा द्वितीय पक्ष दानपत्र के आधार पर दावा कर रहे हैं। मामला वर्त्तमान दखल कब्जा का नहीं बल्कि हक एवं अधिकार से संबंधित जान पड़ता है। जिसका निस्तारण इस न्यायालय से संभव नहीं है। पक्षकार को मामले का निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय में शरण लेना चाहिए। इसी निरीक्षा के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

06/07/18
अंचल अधिकारी
सरैयाहाट

06/07/18.
अंचल अधिकारी
सरैयाहाट

Scanned with CamScanner